राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: उच्च शिक्षा का समीक्षात्मक अध्ययन

पिंकी पुनिया व ऋतेश भारद्वाज

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा का समीक्षात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। सविधान व राष्ट्र निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा के महत्व के संदर्भ में कहा था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सकारात्मक समानता के आधार पर सर्वसुलभ हो। कस्तूरीरंगन समिति ने मोदी सरकार के पुनः सत्तारूढ़ होने के कुछ ही समय के भीतर अपना अंतिम दस्तावेज सरकार को सौंप दिया थाए परंतु उनकी कुछ सिफारिशों को इसमें समाहित नहीं किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुत सारे लक्ष्यों 2030 तक की समय सीमा के भीतर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया हैए परंतु बहुत से प्रश्न अभी भी राष्ट्र के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समक्ष खड़े हैं जैसे आगामी वर्षों में इस विशाल लक्ष्य को किस प्रकार हासिल किया जाएगाघ् नई शिक्षा नीति 2020 से पूर्व 1968 और 1986 ;जिसे 1992 में संशोधित किया गयाद्ध के उपरांत यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई है। इस लेख का उद्देश्य ना तो सरकार की नीतियों की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करना है और ना ही अति आलोचना करना। इस लेख में भारतीय उच्च शिक्षा के संदर्भ में यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहां तक कारगर

साबित हो सकती हैए इसकी समीक्षा बहुत से पहलुओं के संदर्भ में करने का प्रयास किया गया है।

बीज शब्द: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा मंत्रालय, आगत और निर्गत विकल्प, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद, सामान्य शिक्षा परिषद, उत्तर शिक्षा अनुदान परिषद, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, बहु विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय।

संविधान व राष्ट्र निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा के संदर्भ में कहा था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सर्वसुलभ हो अर्थात जो शिक्षा पाना चाहेए शिक्षा उसकी पहुंच में हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप को भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को अपनी मंजूरी दी और इस तरह पिछले 6 वर्षों से चल रहे प्रयासों को विराम लग गया है। कस्तूरीरंगन समिति ने मोदी सरकार के पुनः सत्तारूढ़ होने की शुरुआत में ही अपना अंतिम दस्तावेज सरकार को सौंप दिया था लेकिन सरकार द्वारा कई सिफारिशें इसमें से निकाल दी गई या उन्हें कमजोर बना दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपनी प्रस्तावना में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास एजेंडाए 2030 के लक्ष्य चार में परिलक्षित वैश्विक विकास एजेंडे को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पुनर्गठित करने पर जोर दिया है और इसमें कहा गया है कि श्दुनिया के सभी देश सबके लिए समावेशी समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य 2030 तक हासिल करें।श्

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत में 3 से 18 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया हैए जिसे 2030 तक पूरा करना है। इसमें 100 फीसदी सकल पंजीकरण अनुपात को आधार बनाते हुए स्कूल से बाहर रह गए दो करोड़ बच्चों की शिक्षा को मूल धारा में वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि आगामी 20 वर्षों में इस विशाल लक्ष्य को किस प्रकार हासिल किया जाएगाघ् राष्ट्रीय शिक्षा नीति.2020 को आने वाले दो दशकों के लिए बनाया गया है और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की योजना है। सितंबर 2020 में नई शिक्षा नीति के संदर्भ में शिक्षा पर्व भी आयोजित किया गया था और इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई और शिक्षा मंत्रालय को इस शिक्षा पर्व के माध्यम से 15 लाख हितधारकों के सुझाव भी प्राप्त हुए। नई शिक्षा नीति. 2020 में मंत्रिमंडल द्वारा श्मानव संसाधन विकास मंत्रालयश् का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय किया गया है और शिक्षा मंत्रालय नामकरण करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने की ओर अधिक ध्यान आकर्षित करना बताया गया है।

सन 1950 में शिक्षा को धारा 45 के अंतर्गत भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल करते हुए 10 वर्षों में सभी बच्चों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का वादा किया गया था। इसके पश्चात कई आयोगोंए शिक्षा नीतियों और एक्शन प्लान की तरफ से कई सकारात्मक सिफारिश के सामने आई। सन 1968 की शिक्षा नीति में राष्ट्रीय एकीकरण को बनाए रखने के लिए भावी समाज का निर्माण करना और राष्ट्रीय विकास में एक पीढ़ी को तैयार करना इसका मूल उद्देश्य रखा गया था। इसके पश्चात 1986 की शिक्षा

नीतिए जिसे वर्ष 1992 में संशोधित किया गयाए उदारीकरणए निजीकरण और वैश्वीकरण के शुरुआती दौर की पृष्ठभूमि में विकसित हुई। इन सभी शिक्षा नीतियोंए एक्शन प्लान इत्यादि के पश्चात भी बहुसंख्यक आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण समान शिक्षा हासिल करने का उद्देश्य आज भी एक मृगतृष्णा की भांति दिखाई देता है।

इस लेख का उद्देश्य ना तो सरकार की नीतियों की प्रशंसा करना है और ना ही आलोचना करना। प्रस्तुत लेख में भारतीय उच्च शिक्षा के संदर्भ में यह नई शिक्षा नीति कहां तक कारगर साबित हो सकती है इसकी समीक्षा करने का प्रयास किया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आवश्यक मानकर चारित्रिकए नैतिक और संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने के लिए भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में मौजूद कुछ समस्याओं का भी इस नई शिक्षा नीति में जिक्र किया गया है। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में व्याप्त धरातलीय वातावरण में जिस प्रकार की मौलिक समस्याएं हैय उन पर ध्यान देने और उन्हें वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थान दिए जाने की आवश्यकता हैए अन्यथा केवल नीतियों के निर्माण मात्र से किसी व्यापक परिवर्तन की उम्मीद करना अनुचित होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति.2020 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए गए मुख्य परिवर्तनों निम्नलिखित है।

1 नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में देश के सकल घरेलू उत्पाद का 6ः हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है जिसमें उच्च शिक्षा पर किए जाने वाला खर्चा भी समाहित है।

2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3ण्5 करोड़ नई सीटों को बढ़ाया जाएगा।

3ण् स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों ही स्तरों पर छात्रों के लिए संस्कृत अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्थानों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा अर्थात विभिन्न स्तरों पर मल्टी लेवल एंट्री और एग्जिट ;बहु स्तरीय आगत और निर्गत विकल्पद्ध दी जाएगी। जैसे यदि कोई विद्यार्थी 1 वर्ष के पश्चात महाविद्यालय; स्नातक स्तर परद्ध छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेटए 2 वर्ष के पश्चात छोड़ता है तो एडवांस डिप्लोमा और 3 वर्षों के पश्चात स्नातक की डिग्री और 4 वर्षों के पश्चात शोध के साथ स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी।

5 चार वर्ष के पश्चात हासिल किए गए शोध के साथ स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों को 1 वर्ष में परास्नातक की डिग्री दी जाएगी।

6 उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्थापित किया जाएगा जिससे अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।

7 नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है और अब छात्र परास्नातक डिग्री के पश्चात सीधे पीएचडी में शोध हेतु प्रवेश पा सकते हैं।

8 चिकित्सा और कानून शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा और उच्च शिक्षा आयोग के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शी पूर्ण निष्पादन के लिए चार संस्थाओं और निकायों का निर्धारण किया गया है। इस संस्था की स्थापना के पश्चात अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को समाप्त कर दिया जाएगा।

- शिक्षा में विनियमन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियमक परिषद की स्थापना।

- शिक्षा में मानक निर्धारण हेतु श्सामान्य शिक्षा परिषदश् की स्थापना।

- शिक्षा में वित्तीय पोषण हेतु उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद कि वर्ष 2022 तक स्थापना।

- शिक्षा में प्रत्यायन हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद की स्थापना।
- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग; एकल निकाय

9 महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी।

10 देश में आईआईटी और भारतीय प्रबंधन संस्थान के समकक्ष वैश्विक मानकों के श्बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालयश् की स्थापना की जाएगी।

11 उच्च शिक्षा में मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल पर स्वतंत्र विचार.विमर्श हेतु श्राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी। इस संस्था के माध्यम से ही पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किया जाएगा और इसके लिए आभासी लैब ;टपतजनंस संइद्ध विकसित की जा रही है।

12 अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालयोंए डीम्ड विश्वविद्यालयों और स्टैंड अलोन संस्थाओं के लिए अलग.अलग नियम होते थे परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी के लिए एक समान नियम होंगे।

13ण् देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा और यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा और बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा शासित होगा और इसमें बड़े प्रोजेक्ट्स को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

परिवर्तित उच्च शिक्षा की समीक्षा

यदि उच्च शिक्षा से संबंधित उपरोक्त वर्णित परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाए तो कुछ संदर्भ में परिवर्तन सही भी दिखाई देते हैं परंतु बहुत सारे दृष्टिकोणों से इसमें जमीनी स्तर पर कई चुनौतियां और खामियां भी दिखाई देती है।

नई शिक्षा नीति-2020 में सबसे दूरदर्शी बात यह दिखाई देती है कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की पहल पर जोर दिया गया है। बेरोजगारी की लगातार बढ़ती दर के बीच यह पहल ताजा हवा के झोंके जैसी दिखाई देती है। प्रधानमंत्री द्वारा अक्सर ऐसी शिक्षा पर जोर दिए जाने के बाद कही जाती रही है कि नौकरी मांगने वालों के बजाय नौकरी देने वाले तैयार किए जा सकें और इस शिक्षा नीति में इस सोच को भी पूरा करने की ओर ध्यान दिया गया है और इसके लिए कौशल विकास पर पर्याप्त जोड़ दिया गया है। इस नीति में एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करने का प्रयास किया गया है और इसके लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के साथ ही स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा का विकल्प आत्मनिर्भरता की परिकल्पना को व्यापकता देने में मददगार साबित हो सकता है। त्रिभाषा फार्मूला बच्चों को एक साथ कई भाषाओं के साथ संबंधित विषय में महारत हासिल करने का अवसर देगा। लेकिन अंग्रेजी को पूरी तरह भुला देना भी ठीक नहीं होगा

क्योंकि सूचना तकनीकी की दुनिया में अंग्रेजी का ज्ञान भारतीयों की सबसे बड़ी पूंजी साबित हुआ है और इस सच्चाई से झुटलाया नहीं जा सकता।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में कानून और चिकित्सा की शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक संस्था श्भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के होने से विश्वविद्यालय को संचालन में ज्यादा आजादी मिल पाएगी ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। विश्वविद्यालयों की ही तरह छात्रों को भी अपने विषय चुनने की आजादी होगी अर्थात गणित के साथ संगीत और भौतिक के साथ फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई भी की जा सकेगी। इससे आर्थिक तंगी या दूसरी वजह से ड्रॉप आउट करने वाले छात्रों का साल बर्बाद होने से बच जाएगा क्योंकि बहु स्तरीय दाखिला एवं निकासी यदि कारगर साबित हुआ तो वर्ष 2035 तक हर दूसरे छात्र को उच्च शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य है सरल हो सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एक ऐसा अभिलेख है जो शिक्षा में कुछ सकारात्मक बदलाव की पहल तो करता है और कुछ नई चिंताएं भी पैदा करता है। इस नीति में परंपरागत ज्ञान और 21वीं शताब्दी में आवश्यक कौशल के बीचए बाजार के दबाव और शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता के अभाव के बीचए शिक्षण संस्थाओं की स्वच्छंदता और केंद्रीकरण के बीच ठीक संतुलन बिठाना भी एक चुनौती है। यह नीतिए शिक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक स्तर पर बदलाव को प्रमुखता देती है लेकिन इसमें शिक्षा की आधारभूत चुनौती अर्थात् शैक्षिक गुणवत्ता के लिए ठोस आश्वासन नहीं मिलता है।

देश में निजी कॉलेज और विश्वविद्यालयों की संख्या में आज बहुत इजाफा हुआ है और स्ववित्त पोषित कोर्स का चलन भी शुरू हो चुका है। शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है और शिक्षा की गुणवत्ता आज भी मुख्य चिंता बनी हुई है। आज देश के बहुत से राज्यों में निजी महाविद्यालय तो चल रहे हैंए लेकिन वहां पढ़ाने वाले शिक्षक किन परिस्थितियों में कार्य करते हैंघ् इस पर भी विचार करना बहुत आवश्यक है क्योंकि जो पारिश्रमिक दिल्ली विश्वविद्यालय के एक एडहॉक शिक्षक को मिलता है उतना निजी विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर को नहीं दिया जाता। क्या यह नई शिक्षा नीति ग्रामीण और कमजोर सामाजिक.आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों को आगे बढ़ाने का भरोसा देती हैघ् क्या केंद्र या राज्य सरकार के वित्त पर निर्भर विश्वविद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खरा उतरने के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे या उन्हें स्वयं यह संसाधन आने वाले वर्षों में जुटाने होंगेघ् इस नई शिक्षा नीति में सरकारी विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों दोनों के लिए समान नियम बनाने का सुझाव है। क्या सरकार के आर्थिक सहयोग के बिना केंद्रीयध्राज्य विश्वविद्यालय दुनिया के विश्वविद्यालयों का मुकाबला कर पाएंगेघ् इस नई शिक्षा नीति में 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में अपने कैंपस खोलने की अनुमति देने की बात कही गई है। क्या देश के गरीब और कमजोर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थी इन विश्वविद्यालयों का खर्च पहन कर सकेंगेघ् यह सभी प्रश्न इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है।

मार्च 2020 से जब कोविड-19 महामारी ने पूरे भारत में अपने पांव पसारे तब से विश्वविद्यालयों की शिक्षा को ऑनलाइन कर दिया गया लेकिन आज भारत में ही दो तिहाई बच्चों के पास इंटरनेट और स्मार्ट फोन की सुविधा नहीं हैए ऐसे में

लैपटॉप तो दूर की बात रहीए इन समस्याओं को ध्यान में रखकर 4०% पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा की तरफ बढ़ना कहां तक उचित होगाघ् आज शिक्षा मंत्रालय मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से भविष्य में 4०% विषयों को ऑनलाइन करने की योजना पर कार्यरत है, ताकि कोई भी विद्यार्थी अपने इच्छित विषय को ऑनलाइन मोड में जाकर पढ़ सके। शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग अवश्य होना चाहिए लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि जिनके पास तकनीक और संसाधन नहीं हैए वह इससे किस प्रकार लाभान्वित होंगेघ् इसके अतिरिक्त आपदा काल में शिक्षा का प्रावधान रखा जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में इन चिंताओं का ध्यान रखना होगा। आज कोरोना महामारी के दौरान देश आर्थिकए शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है और शिक्षा भी इससे अछूती नहीं रह गई है। आने वाले समय में इस प्रकार की आपदाओं के लिए भी देश को तैयार रहना होगा।

यह नीति अध्यापकों की गरिमा और विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करना चाहती है। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षकों की नियुक्ति उनकी गुणवत्ता और सेवा शर्तों की प्रक्रिया में पारदर्शिता व भ्रष्टाचार का खात्मा ही ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार करेंगे। यदि दिल्ली विश्वविद्यालय का ही उदाहरण देखा जाए तो यहां पर लगभग 15-16 वर्षों से शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई थी जिसे अब जाकर के वर्ष 2020-21 में शुरू किया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कहीं भी किसी भी सरकारी आदेश के द्वारा इसे रोका नहीं किया था इसके बावजूद कई वर्षों तक पदोन्नति रुकी रही। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं जब यह स्थिति देश की राजधानी; केंद्रीय विश्वविद्यालय में हो सकती है अन्य राज्यों की उच्च शिक्षा का क्या हाल होगाघ् यद्यपि नई शिक्षा नीति में

शिक्षकों की पदोन्नतिए तथा जवाबदेही की चर्चा की गई हैए लेकिन इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है कि उपयुक्त पदोन्नति तथा मूल्यांकन संस्थाओं द्वारा निश्चित समय में ना किया जाए तो संस्थाओं की क्या जवाबदेही होगीघ् जहां तक स्थाई नियुक्तियों का प्रश्न है वह लगभग हर छह या सात साल के लिए रोक दी जाती है अंतिम बार वर्ष 2015 में स्थाई नियुक्तियां हुई थी। कभी रोस्टर ठीक से नहीं बनाया जाताए हर दर वर्षों में सर्विस कंडीशनस में व्यापक बदलाव हो जाते हैंए अन्य वर्गों को उनका समुचित प्रतिनिधित्व तक नहीं दिया जाताए कभी 4 वर्ष का कार्यक्रम आरोपित किया जाता है तो फिर पुनः 3 वर्ष का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है और अब पुनः नई शिक्षा नीति के माध्यम से 3 से 4 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम का विकल्प दिया जा रहा है। कभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा ;छंजपवदंस म्सपहपइपसपजल ज्मेज.छम्ज्द्ध को अनिवार्य कर दिया जाता है तो कभी उसे पूरी तरह से हटा दिया जाता है; वर्ष 2009-10 में नेट की अनिवार्यता को कुछ शर्तों के संदर्भ में समाप्त किया गया थाद्ध और फिर कुछ वर्ष पश्चात इसे अनिवार्य बना दिया जाता है।

विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के पश्चात कोई विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी नहीं दिया जाताए केवल शिक्षकों के विकास के नाम पर कुछ एकेडमिक स्टाफ कॉलेज द्वारा रिफ्रेशर कोर्स; पहले 21 दिन का होता था और ओरियंटेशन; 30 दिन काद्ध कोर्स चलाए जाते हैं। आज रिफ्रेशर कोर्स की जगह 5 दिन का एफडीपी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और 10 दिन के एफडीपी को एक रिफ्रेशर के बराबर माना जा रहा है। यहां पर यह कहने का बिल्कुल भी अभिप्राय नहीं है कि बिल्कुल निरर्थक है सिर्फ यहां पर इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया जा रहा है कि उच्च शिक्षा में योग्य उम्मीदवारों के चयन के पश्चात कुछ गुणात्मक प्रशिक्षण

कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। जहां तक शिक्षकों की नियुक्ति का प्रश्न है उसके लिए बेहतर होगा एक ऐसी सिलेक्शन कमेटी को बनाया जाए जो अभ्यर्थियों से अपरिचित हो और अभ्यर्थी सिलेक्शन कमिटी से। यदि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना है तो उसके लिए संघ लोक सेवा आयोग या फिर किसी अन्य विश्वसनीय समर्पित निकाय के माध्यम से नियुक्तियों को जाना बेहतर होगा जिसमें मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार को समाहित किया जाए और जांच करने वालों को यह कदापि ना पता चल सके कि वह किसकी कॉपी जांच रहे हैं।

ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत में अकूत क्षमता है लेकिन उसकी वास्तविकता को देखने के लिए बौद्धिक संपत्ति की स्वीकार्यताए संरक्षण और प्रोत्साहन के साथ.साथ एकेडमिक स्वतंत्रता की भी आवश्यकता होगी। अभी देश में शोध पर सकल घरेलू उत्पाद का 1% से भी कम खर्च होता है जबकि चीन अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.5 % खर्च करता है जबकि वर्ष 2017 में जापान ने विज्ञान और तकनीकी के शोध में अपना बजट बढ़ाकर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3.85% कर दिया था। मनमोहन सिंह सरकार ने वर्ष 2006 में एक परिपत्र जारी करते हुए कहा था कि शिक्षा का व्यापार छात्रों के लिए लाभदायक होगा क्योंकि जो छात्र विदेश जाते हैं उनको अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भारत में ही मिलेगी क्योंकि विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपना केंपस बना सकेंगे। शिक्षा को वैश्विक बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने शिक्षा को दो भागों में बांटा है। पहलाए सीखने के माध्यम से ज्ञान अर्जित करना जो कि कक्षा में अध्ययन और अध्यापन से मिलता है और दूसरा, कौशल के माध्यम से ज्ञान अर्जित करना जो विभिन्न संस्थाओं के साथ तालमेल से मिलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है वर्ष 2030 तक इस शिक्षा प्रणाली से वैश्विक सतत विकास के

साथ-साथ मानवाधिकार, लैंगिक समानता व संस्कृति और अहिंसा के साथ-साथ वैश्विक नागरिकता की तरफ विद्यार्थी अक्सर हो पाएगा। आज नई शिक्षा नीति को यदी पूरी ईमानदारी और गंभीरता से लागू किया गया तो उसके दूरगामी नतीजे आ सकते हैं परंतु इसके लिए सरकार को अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% खर्च करना होगा। बहुत पहले 1966 के दौरान डीएस कोठारी कमीशन ने भी राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च करने का सिफारिश की थी परंतु उसे पूरा नहीं किया गया था। इसी सिफारिश को 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैं भी दोहराया गया परंतु हम पाते हैं कि इसका अनुपालन उस वक्त भी नहीं किया गया। वर्ष 2009-10 से लेकर वर्ष 2015-16 तक सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 2.7% ही शिक्षा पर खर्च किया गया। इस प्रकार नीति और इसके क्रियान्वयन में भारी अंतर देखने को मिला जिसका नतीजा हुआ कि विश्वविद्यालय कुपोषित होते चले जा रहे हैं।

शिक्षा के बढ़ते बाजारीकरण और निजीकरण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से किसी नियामक और नियंत्रक ढांचे का जिक्र इस नई शिक्षा नीति में नहीं मिलता है। हाल ही में निजी संस्थानों के समर्थकों का कहना था कि 50 फीसदी बच्चे अब निजी स्कूलों में जाने लगे हैं यानी देश में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून के बावजूद स्कूल जाने वाले आधे बच्चे निजी विश्वविद्यालयों में फीस भरकर अपनी पढ़ाई करते हैं जहां अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अलावा कई तरह के मनमाने शुल्क वसूले जाते हैं। आज कोरोना महामारी के इस विषम दौर में स्कूल बंद होने के बावजूदए निजी विद्यालयों के प्रबंधकों द्वारा मनमानी फीस वसूलने का खतरा बढ़ा है जिनके खिलाफ जगह.जगह पर अभिभावक सड़कों पर भी उतरे हैं। कस्तूरीरंगन समिति ने अपने मूल दस्तावेज में शिक्षा के बढ़ते

निजीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए बाजारीकरण की ओर उन्मुख विद्यालयों को बंद करने का सुझाव दिया है और विशेषकर अध्यापक प्रशिक्षण के कार्य में लगे निजी संस्थानों को श्पैसा उगाहने वाले संस्थानश् के संज्ञा से संबोधित किया था। कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई नई शिक्षा नीति में उपयुक्त चेतावनी को हटा दिया गया।

संक्षेप में कहा जा सकता हैए कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में निजीकरण और व्यावसायिक जगत का हस्तक्षेप बढ़ेगा। साथ ही केंद्र सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में अति.केंद्रीकरण बढ़ जाएगा। मोदी सरकार के पहले कार्यक्रम में नीति आयोग ने स्कूलों के लिए परिणाम आधारित अनुदान देने की नीति लागू करने की बात पहले ही कह दी है और ऐसे में जो विद्यालय और महाविद्यालय अच्छा प्रदर्शन करेंगे वह और अच्छे होते चले जाएंगे और जो खराब प्रदर्शन करेंगे वह और खराब। सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है यह किसी से छुपा नहीं है। इंडियन एजुकेशन सर्विसए नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी नई.नई संस्थाओं से स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा तक सब कुछ केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लेना चाहती हैं। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक नोटिस निकाला गया जिसमें कहा गया कि विद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षक सरकार के किसी भी नीति की आलोचना नहीं कर सकते जो की पूरी तरह से शैक्षिक स्वतंत्रता पर आघात है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है इसलिए इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की भूमिका होती है। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बुनियादी आवश्यकता हैं जो जनता सरकार से चाहती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की असल परीक्षा उसके क्रियान्वयन के स्तर पर होगी। शिक्षा नीति की घोषणा तो हो गई है परंतु अब यह देखना होगा

कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ती है और श्लक्ष्मीश् के साथ श्सरस्वतीश् का सामंजस्य कैसे बैठता हैंघ्